


हरिद्वार—रुडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार
59 वीं बोर्ड बैठक का एजेण्डा



दिनांक: 23.11.2015

(परिचालन विधि)

**हरिद्वार विकास प्राधिकरण की ५९वीं बोर्ड बैठक (परिचालन विधि)
का कार्यवृत्त**


मद संख्या-५९(१)

विषय:- सेल्यूलर/मोबाइल/वैसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ टावर निर्माण हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

शासन के पत्र संख्या 1633/V-2-2015-55(आ) / 2006टी०१०१-१ दिनांक 24 सितम्बर 2015 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के विकास प्राधिकरण में सेल्यूलर/मोबाइल/वैसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ टावर निर्माण एवं विकास उपविधि को अंगीकृत किये जाने के प्रयोजनार्थ टावर निर्माण एवं विकास उपविधि/ विनियम को लागू किये जाने की सही व्यवहार प्रदान हुए उत्तर उपविधि/विनियम को प्राधिकरण बोर्ड की समरूपता सहित अंगीकृत करने हेतु निर्देशित किया गया है। उत्तर उपविधि का स्थानीय परिसीरण एवं आवश्यकताओं को दृष्टिगत बोर्ड कोई सुझाव एवं परिकार अपेक्षित हो तो बोर्ड की समरूपता सहित अंगीकृत करने हेतु निर्देशित किया गया है। उत्तर उपविधि का स्थानीय परिसीरण एवं आवश्यकताओं को दृष्टिगत बोर्ड कोई सुझाव एवं परिकार अपेक्षित हो तो बोर्ड की समरूपता सहित अंगीकृत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्राप्त उपविधि निर्माण एवं विकास उपविधि को अंगीकृत करने के सम्बन्ध में।


- (i) सेल्यूलर/मोबाइल/वैसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ टावर के निर्माण की अनुमति समावृत्त पार्क, बंडर, अधिकारित पत्र खुले स्थल, ग्रीन वर्ज, कृषि भू-उपयोग आदि के अन्वयन प्रदान की जायेगी, जबकि स्थल व अपरावल भवन/परिसर अन्वयन उत्तर टावर की अनुमत्याकारी संस्थानों को प्रदान होगी एवं अपरावल भू-उपयोग आदि के अन्वयन प्रदान की अनुमति उत्तर उपविधि को अंगीकृत करने हेतु निर्देशित किया गया है।
- (ii) सेल्यूलर/मोबाइल/वैसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ टावर का निर्माण अनुमति सहित अंगीकृत करने हेतु निर्देशित किया जायेगा।
- (iii) प्राकृतिक आपदा की विधित में समावित हानि को स्वृत्ततम बोर्ड के दृष्टिगत टावर का निर्माण संस्थानी गलियों में अनुमत्यन नहीं होगा। पुष्ट भारी की स्वृत्ततम बोर्ड के दृष्टिगत एवं परिसीरण की बाबत नहीं होगा। सधन निर्माण बोर्ड ने परावत भारी बोर्ड होने पर अपरिसीरण में न्यूट्रिटम 5.0 मी. ऊँचे पुष्ट भारी कोई उत्तर जेनरेटर साइलेंट श्रौणी को होगा। Micro Cell Based Stations के उपयोग की अनुमत्याकारी संस्थानों को अनिवार्य आवश्यक होगी कि अनिवार्य विनायक द्वारा इस आवार पर निर्माण पत्र प्रदान करे कि प्रनाम स्थल हेतु शमन वाहन एवं विद्युतियों एवं अपरावल भू-उपयोग आदि को अनुमति दिया जायेगा।
- (iv) भू-खुर्ज के क्षेत्रफल- इस प्रयोजनार्थ स्थल के भू-खुर्ज का न्यूट्रिटम क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर तथा भवन की छत पर निर्माण होने पर छत का क्षेत्रफल भी न्यूट्रिटम 50 वर्गमीटर आवश्यक होगा।
- (v) भू-आच्छादन एवं एक००५आर- एक००५ नोड स्थल व अनुभाविक भवनों व निर्माण हेतु भवन का अधिकारी भू-आच्छादन 40 प्रतिशत तथा एक००५आर 1.0 अनुमत्य होगा।



 
अनुज कुमार
प्रभागाधीन अधिकारी
हरिद्वार-सेल्यूलर सेवा प्राधिकरण
मिलान गढ़ प्राधिकरण

 
अनुज कुमार
प्रभागाधीन अधिकारी
हरिद्वार-सेल्यूलर सेवा प्राधिकरण
मिलान गढ़ प्राधिकरण

- (vi) केशल एन्टीना टावर को एक००५आर ० व तत्परता ज़ैंचाई से मूकत रखा जायेगा।
- (vii) सेटैंडेक-टावर का सेटैंडेक संलग्नक (अ) भुनसार होगा। हाँ, भीड़ियम एवं लो टेल्स्सन विद्युत लाइन से दूरी के विद्युत लाइन से टावर की न्यूट्रिटम दूरी एक००५सी० में विधारित विद्युत लाइन से दूरी के बराबर आवश्यक होगा।

2. निर्माण अनुमति हेतु अपेक्षाएँ—
सामान्य निर्माण अपेक्षाएँ, संरचना की स्थिरता और अग्निसुरक्षा की अपेक्षाओं सम्बन्धीय सामग्री को उत्तमतम न होने पर सेल्यूलर/मोबाइल/वैसिक टेलीफोन सर्विस के मानकों के अनुरूप अनुमति अनुमति भारत सरकार के दूरसंचार विनाय द्वारा लाइसेंस प्राप्त सेल्यूलर/मोबाइल/वैसिक टेलीफोन सेवा आपरेटरों को इस सेवा हेतु आवश्यक एन्टीना टावर, रेडियो, इविपरमेट कक्ष तथा जेनरेटर कक्ष के निर्माण के लिए ही उपलब्ध होगी। जेनरेटर कक्ष साइलेंट साइलेंट प्रक्रिये के होगे तथा भूतल अथवा सुरक्षा की दृष्टि से उपर्युक्त ज्ञान पर ही लगाये जायेंगे।
- (i) सेवा आपरेटर द्वारा टावर का निर्माण कार्य किये जाने से पूर्व 'कारखिसिल ऑफ आंकोडीवर' में पंजीकृत अंकोडीवर एवं अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करना आवश्यक है। भवन जिस पर टावर प्रत्येक दृष्टि से सुरक्षित है। उत्तर उपविधि के साथ सुरक्षित होना आवश्यक है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर के अतिरिक्त आईआईटी० तथा साजीय संस्थानों यथा एक००५आर०१०, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज से एक००५आर०१० पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।
- (ii) यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाना है तो टावर का निवाला भाग छत से न्यूट्रिटम 3.0 मी. की ऊँचाई पर होना आवश्यक है। साथ ही इस सम्बन्ध में Wind load तथा Seismic load के सम्बन्ध में तथा भवन के स्ट्रक्चर की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी आवश्यक होगी।
- (iii) यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाना है तो टावर का निवाला भाग छत से न्यूट्रिटम 3.0 मी. की ऊँचाई पर होना आवश्यक है। साथ ही इस सम्बन्ध में Wind load तथा Seismic load के सम्बन्ध में तथा भवन के स्ट्रक्चर की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी आवश्यक होगी।
- (iv) जारी अपेक्षाएँ हो, वहाँ टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अपार्टमेंटी ऑफ इंजियरिंग का अनावृत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (v) उन प्रकरणों में जहाँ पर टावर संचालन हेतु लोग डीजल जेनरेटर की क्षमता 25 KVA से अनावृत्ति है एवं उक्त जेनरेटर आटोमेटिक रिसेट एसेसिएशन ऑफ इंजियरिंग के द्वारा प्रमाणित हो एवं उत्तर जेनरेटर साइलेंट श्रौणी को हो, ऐसे प्रकरणों में प्रदूषण नियन्त्रण की अनुमति अपार्टमेंटी तथा आवश्यकता नहीं होगी।
- (vi) टावर के निर्माण से पूर्व SACFA(Standing Advisory Committee On Frequency Allocation) का अनावृत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (vii) सेवा आपरेटर कम्पनी से इस आशय का विवर पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। निर्माण के फलस्वरूप आसापास के भवन एवं जानमाल को किसी प्रकार की काति पहुँचती है, तो उक्त प्रकरणों में जहाँ पर टावर संचालन हेतु लोग डीजल जेनरेटर की क्षमता 25 KVA से अनावृत्ति है एवं उक्त जेनरेटर आटोमेटिक रिसेट एसेसिएशन ऑफ इंजियरिंग के द्वारा प्रमाणित हो एवं उत्तर जेनरेटर साइलेंट श्रौणी को हो, ऐसे प्रकरणों में प्रदूषण नियन्त्रण की अनुमति अपार्टमेंटी तथा आवश्यकता नहीं होगी।
- (viii) आवरण के साथ डीटी विनाय के Term Cell तथा निर्गत निम्न acknowledge receipt of the self certificate submitted by Telecom Service Provider in respect of Mobile Tower/ BTS (ground based/roof top/pole/ wall mounted) in the format as prescribed by TEC, DoT, establishing/ certifying that all the general public areas around the tower will be within safe EMF exposure limit . The operator shall get the Technical Audit done by TERM cell annually and shall submit the same with the sanctioning authority at the time of renewal of the permission.
- (ix) निर्माण से पूर्व मानवित्र, शपथ पत्र व अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्र अनुज्ञा फीस के साथ सम्बन्धित सम्बन्ध प्राधिकारी के कार्यालय में जमा किए जायेंगे अनुज्ञा फीस के रूप में अप्रस्तुत करनी आवश्यक होगी।

 
अनुज कुमार
प्रभागाधीन अधिकारी
हरिद्वार-सेल्यूलर सेवा प्राधिकरण
मिलान गढ़ प्राधिकरण

 
अनुज कुमार
प्रभागाधीन अधिकारी
हरिद्वार-सेल्यूलर सेवा प्राधिकरण
मिलान गढ़ प्राधिकरण

प्राप्त धनराशि प्राधिकरण के 'इन्फोस्ट्रक्चर डेवलपमेंट फण्ड' में जमा किया जाएगा। यह अनुज्ञा 05 वर्ष हेतु होगी तथा उक्त अवधि पूर्ण होने से कम से कम एक माह पूर्व नवीनीकरण हेतु सहम प्राधिकारी कार्यालय में आवेदन किया जाएगा। नवीनीकरण हेतु अनुज्ञा फोस का 25 प्रतिशत अवधि रु0. 2500/- जो भी अधिक हो, देय होगा।

कोडो	क्षेत्र	अनुज्ञा फोस (लिप्ये में)
1-	विकास प्राधिकरण	50,000/-

टिप्पणी:-

- (i) जिन विभाग/कम्पनी/सेवादाता द्वारा अन्य कम्पनी/सेवादाता से अपेक्षित अति अत्यधिक तकनीकी को मोबाइल टावर एन्टीना लगाये जायेंगे, ऐसी मोबाइल टावर कम्पनियों को राजकीय/स्थायतरासी/निगमों के कार्यालय भवनों एवं उसके परिसर अन्तर्गत उपलब्ध भूमि पर टावर निर्माण हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा। उपरोक्तानुसार उत्सवित प्राधिकारों के अन्तर्गत टावर निर्माण का उपयुक्त पारे जाने की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किराया शुल्क लेकर सम्बन्धित कार्यालयक्षण द्वारा मानविक्र स्वीकृति हेतु अनुपातिक प्रदान की जायेगी। ऐसे प्रकरणों में प्रोत्साहन के रूप में अनुज्ञा शुल्क में भी 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
- (ii) मोबाइल टावर की सूखांक का पूर्ण दावित मोबाइल टावर कम्पनी का होगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में सम्बन्धित कम्पनी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी।

अन्य अपेक्षाएँ -

- (i) निर्माण अनुज्ञा प्रदान करने हेतु उपर्युक्त प्रत्यक्ष र 2 (ix) के अतिरिक्त विकास शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (ii) राष्ट्र पत्र 10 रु. में नैन जुड़ीशियल स्टाप्प पेपर पर आवेदन के फोटो सहित नोटरी से तस्वीरित होगा।
- (iii) आवेदन पत्र की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत आवेदन पत्र की एक छायाप्रति जिलाधिकारी एवं एक छायाप्रति वरिष्ठ पुरुष अधीकार के कार्यालय में प्रवान सूचना के रूप में प्रोत्साहित होगी।
- (iv) इलेक्ट्रॉनिक रेक्टर, बायोडेशन, व्हनि प्रदूषण आदि के रूप में होने वाले दुष्परिकरणों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अवधि अन्य शासकीय अधिकारण द्वारा जारी दिशा-निर्देश का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- (v) Ground Based टावर में अनाधिकृत प्रेस्स वर्जित करने के लिये समृद्धि उपाय यथा चारदीवारी, कठोर लारवेड जो न्यूनतम 10 मिट उंची हो, का ताले की व्यवस्था सहित प्रावधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
- (vi) Roof Top टावर में अनाधिकृत प्रेस्स वर्जित करने हेतु भवनों की छतों पर जाने वाले दरवाजे पर ताले, जिनकी प्रावधान अनिवार्य रूप से करना होगा।

प्राप्त अधिकारी
अधिकारी
इन्फोस्ट्रक्चर डेवलपमेंट फण्ड
टावर-एडक्यूटिव एवं विकास प्राधिकरण
हासिल

विकास प्राधिकरण
टावर

- 4-
- (vii) टावर परिसर के प्रवेश द्वार पर उचित स्थान पर बेतावनी सूचना 'साइन बोर्ड' लगाना अनिवार्य होगा जिसमें खतरा ! आरएपओ विकिरण, प्रेस्स वर्जित लिखा होगा।
 - (viii) प्रदाता कम्पनी को आवेदन पत्र के साथ भवन/भूखण्ड स्थानों के साथ किये गये पंजीकरण अनुबंध की शुल्क प्रति स्टाप्प शुल्क सहित उपलब्ध करायाँ होंगी।
 - (ix) समय पर TRAI (Telecom Regulatory Authority of India) एवं ARAI (Automobile Research Association of India) Ministry of Commerce of India द्वारा जारी दिशा-निर्देश का अनुपालन आवश्यक होगा।
 - (x) DoT के TERM cell द्वारा संलग्नक (a) अनुसार अन्य अपेक्षाओं को पूर्ण करते हुए audit किया जाना अपेक्षित है।

शमन एवं विनियमितीकरण :-

- (i) ऐसे सभी टावर जो कि प्रस्तावित नीति के प्रवर्तन से पूर्ण में लगे हैं और विनियमितीकरण हेतु उपयुक्त हैं और जिनके सम्बन्ध में या तो अनुज्ञा हेतु आवेदन नहीं किया गया था अथवा तदरित नीति के प्रवर्तन अनुसार अनुज्ञा शुल्क जमा नहीं किया गया था, ऐसे समस्त प्रकरणों में विनियमितीकरण विशेष प्रकारण के रूप में किया जायेगा जिससे हेतु एकमुश्ति भुगतान के अनुसार शुल्क देय होगा।
- (ii) पूर्ण में स्थापित टावरों के सम्बन्ध में जहां पर अनुज्ञा हेतु आवेदन करते समय यथापि टेलीकाम कम्पनियों के द्वारा अनुज्ञा शुल्क तदप्रदृत नीति के अनुसार जमा किया गया था परन्तु सम्बन्धित नीति आवधि प्राविकरण द्वारा औपचारिक रूप से आपत्ति की गयी थी, जैसे कि साइट प्लाट नीति की वैधता, स्वीकृत मानवित्र (विलेखन की छतों पर लगे टावरों के सम्बन्ध में) भूतमी से किये गये करार की छायाप्रति सम्बन्धित आवेदन के साथ न लगाया जाना, ऐसे समस्त प्रकरणों में सम्बन्धित स्थापित टावरों की वैधता एवं उक्त आवेदन की विधि से विनियमितीकरण के लिए आवेदन किया जायेगा एवं उक्त आवेदन की विधि से विलम्बितम 30 दिवसों में उक्त शमन/विनियमितीकरण सम्बन्धित प्राविकरण द्वारा किया जायेगा। इस सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त शुल्क सम्बन्धित प्राविकरण को देते नहीं होंगा।
- (iii) ऐसे सभी टावर जिनकी छत पर टावर स्थित है, और जिनके उन भवनों का मानवित्र विकास प्राविकरण द्वारा स्वीकृत किया गया है अथवा स्वीकृति हेतु विकास प्राविकरण के अनुसार भेदभाव नहीं होता तो उन भवनों की वैधता एवं उक्त आवेदन की विधि से विलम्बितम 30 दिवसों में उक्त शमन/विनियमितीकरण के अनुसार देते नहीं होंगा।
- (iv) ऐसे प्रकरणों, जिनमें टावर के स्थापना कर दी गयी है किन्तु विलिंग मानवित्र स्वीकृत नहीं है, उनमें अनुज्ञा एवं शमन हेतु भवन मानवित्र सम्बन्धित प्राविकरण में जमा किया जायेगा और भवन के शमन योग्य होने पर ही विकास प्राविकरण द्वारा 30 दिन के भीतर आवेदन का नियंत्रण किया जायेगा और यदि आवेदन का नियंत्रण 30 दिन के भीतर नहीं किया जाता है तो 30 दिनों के उपरांत प्रकरण में स्थान अधिकारी के अनुपालन से जमीन नामी जायेगी तथा नियंत्रित शुल्क सम्बन्धित स्थान अधिकारी के अनुपालन से जमीन नामी जायेगा।
- (v) विनियमितीकरण योग्य न होने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

रेडिएशन सम्बन्धित प्रकारण -

होती है तो उस विकास को भारत सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ संस्था "TERM cell" BSNL जो कि वर्तमान में 197, राजपुर रोड, देहरादून में स्थित है, को प्रेषित किया जायेगा।

प्राप्त अधिकारी
अधिकारी
इन्फोस्ट्रक्चर डेवलपमेंट फण्ड
टावर-एडक्यूटिव एवं विकास प्राधिकरण
हासिल

टावर विकास प्राधिकरण
हासिल

जैसा कि भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में है। जहाँ किसी प्रकार के शान्ति व्यवस्था संबंधी समस्या हो, वहाँ संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की सलाह से निर्णय लेंगे।

उक्त दिशा-निर्देश के क्रम में कोई भी मोबाइल टावर किसी भी क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा रेडिएशन के आधार पर सील नहीं किया जायेगा जब तक "TERM cell" द्वारा अपनी आख्या प्रस्तुत न कर दी गयी है।)

उपरोक्त उपविधि / विनियम प्राधिकरण की ५७वीं बोर्ड बैठक में अंगीकृत किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा परिचालन विधि से अनुमोदित।

उपाध्यक्ष
हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार

जिलाधिकारी,
हरिद्वार

वरिष्ठ नगर एवं ग्राम नियोजक
ग्राम एवं नगर नियोजक, विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून

मुख्य नगर अधिकारी
नगर निगम,
हरिद्वार

(अध्यक्षमा)
नगर पालिका परिषद्,
नगरपालिका प्रशिक्षण

सदस्य
हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

अध्यक्ष,
नगर पंचायत/मुनि की रेती
नगरपालिका परिषद्
मुनिकीरेती, दालवाला

प्रशासक,
नगर पंचायत, रानीपुर,
हरिद्वार

मुख्य अधिकारी
नगरपालिका परिषद्
प्रशासक नगर

23/11/2015
हरिदास
अध्यक्ष

हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण